

राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-950/2019/ दिनांक-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 14(1) एफ डी /नियम/2013-11 दिनांक 28.06.13 एव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 मे उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होने 09, 18 एव 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय चयनित वेतन/पै मैट्रिक्स पर पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान मे प्राप्त कर रहे पै मैट्रिक्स लेबल	देय पै मैट्रिक्स लेबल
1	विक्रम सिंह महला	सीकर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
2	धर्मराज नागर	कोटा	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
3	चन्द्रेश कुमार शर्मा	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
4	नरेन्द्र सिंह यादव	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
5	जितेन्द्र यादव	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
6	महेन्द्र कुमार यादव	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
7	विजय सिंह यादव	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
8	अरुण कुमार शर्मा	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
9	हवासिंह यादव	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
10	भगवती प्रसाद शर्मा	धौलपुर	12.08.09	12.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12

नोट:- यदि किसी कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

—sd—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

दिनांक - 27/05/19

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-950/2019/507

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर/कोटा/भरतपुर /जयपुर।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

—sd—
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।